न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 09 / 2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
सुखड़ी पत्नी श्री चौखाराम जाति वि”नोई निवासी रावर की ढाणी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		1. मिश्रीलाल पुत्र गोरधनराम जाति वि”नोई, निवासी रावर की ढाणी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज. 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री बी.आर. वि”नोई एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा आई हुई है। जो प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जाका”तसुदा भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 के पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा भूमि खसरा नम्बर 722 व 723 आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा भूमि जिसके खसरा नम्बर 722 व 726 के पश्चिम दि”ाा की ओर से स्थित माठ के सहारे कच्चा रास्ता आया हुआ है जो आगे तक जाता है। उक्त रास्ते के पूर्व दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 722 के दक्षिण दि”ाा व 723 के उतरी दि”ाा में स्थित मार्क ए बी से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 में काश्त करने हेतु व का”त कार्य करने के लिए आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 722 दक्षिण दि”ाा व 723 के उतरी दि”ाा में रास्ता मार्क ए बी से होकर गुजरना पड़ता है और यही भूमि खसरा नम्बर 724, 725, 726 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी उपरोक्त रास्ते में अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने टैक्टर, छकड़ा व अन्य साधन तथा मवे”ाी इत्यादि को लेकर आते जाते है। अतः प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 722 दक्षिण व 723 के उतरी दि”ाा मार्क ए बी भाग के रास्ते [illegible] आ रहे है। जिसका नजरी नक”ाा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई भी अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त रास्ते का अधिका”ा हिस्सा टैक्टर से खड़ाई कर खुर्द बुर्द कर दिया। शेष हिस्से पर जे.सी.बी. म”ाीन से धोरा दे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:06 IST
Reason: SelfAttested

दिया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.07.2020 को उपरोक्त रास्ते को खुर्द बुर्द करने व रास्ते पर धोरा देकर प्रार्थीया के खेत के अन्दर तक आ गया व प्रार्थीया की पुत्र वधू जैती द्वारा मना करने पर मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 310 पुलिस थाना बिलाड़ा में दर्ज करवाई गई। प्रार्थीया का मार्क ए बी का रास्ता अत्यन्त आव”यक है इस कारण प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध खसरा नम्बर 722 व 723 में से रास्ता दिलवाकर रास्ते को राजस्व रेकर्ड म राजकीय रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी खसरा नम्बर 722 व 723 में स्थित मार्क ए बी की 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 में का”त कार्य करने हेतु व का”त कार्य करने के लिए आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 722 दक्षिण दि”ाा व खसरा नम्बर 723 के उतरी दि”ाा में रास्ता मार्क ए बी से होकर गुजरना पड़ता है और यह ही प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता ह। जिसको प्रार्थीया द्वारा हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य का”त कार्य के रूप में उपयोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदे”ा तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आ”ाय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट हेतु अलग से तहरीर जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब पे”ा किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम रावर की सरहद में खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 जरूर आई हुई है। पद संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 के प”िचम दि”ाा की ओर अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 722, 723 जरूर आई हुई है। पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 724, 725, 726 में पहुचने के लिए खसरा नम्बर 722 के दक्षिणी व खसरा नम्बर 723 के उतरी दि”ाा के सहारे सहारे होकर कोई रास्ता नही निकलता है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 में आने जाने के लिए अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 722, 723 में नया रास्ता कायम करना चाहता है। जबकि प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 724, 725, 726 में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जो खसरा नम्बर 703 गै.मु. रास्ता का उपयोग प्रार्थी व आस पड़ौस के किसान अपने खेतों में पहुचकर खेती इत्यादि करते है। खसरा नम्बर 703 गै.मु. रास्ता के दक्षिणी दि”ाा की माठ के सहारे–सहारे चलता है, जो खसरा नम्बर 700 की भूमि में पहुचता है, जो रास्ता मार्क एबीसीडी है, इसी खसरा नम्बर 700 के दक्षिणी पूर्वी दि”ाा की माठ के सहारे सहारे रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 721 की भूमि में पहुचता है, जो रास्ता मार्क ईएफजीएच है और मार्क एबीसीडीईएफजीएच रास्ता प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 तक जाता है जिससे प्रार्थी का आवागमन कई पीढियों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:06 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है। जिसका नजरी नक्"ाा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ कोई नजरी नक्"ाा पे"ा नही किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कोई सरकारी अथवा गुंआ का खसरा नम्बर इत्यादि नही बताया है। प्रार्थी सुविधाजनक रास्ते की आड़ में नया रास्ता कायम नही करवा सकता है। पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 722 व 723 आयी हुयी है। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि को येनकेन प्रकारेण नाजायज तौर से जमीन को दबाना चाहता है, अप्रार्थी की खातेदारी भूमि को दबाकर अपनी खातेदारी भूमि में मिलाने का प्रयास प्रार्थी के पुत्र खीयाराम द्वारा दिनांक 07.07.2020 को किया गया, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी की खातेदारी भूमि का धोरा पाली को तोड़ दिया एवं जे.सी.बी. म"ाीन से खुर्द बुर्द कर नष्ट कर दिया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी के पुत्र जीयाराम के विरूद्ध पुलिस थाना बिलाड़ा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 320 अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 354, 427, 447 भा.द.स. के तहत दर्ज करवायी, जिसका अनुसंधान अभी विचाराधीन चल रहा है। पद संख्या 6 से 8 कानूनी है। पद संख्या 9 प्रार्थना प्रार्थी है, जो गलत होने से अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन पद संख्या 3 में प्रार्थी ने खसरा नम्बर 722 के दक्षिण दि"ाा तथा खसरा नम्ब 723 के उतरी दि"ाा के मार्क ए से बी भाग से होकर खेत खसरा नम्बर 724, 725 व 726 से गुजरना पड़ता है, जिसका नजरी नक्"ाा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न लिखा है, लेकिन प्रार्थना पत्र के साथ कोई संलग्न नक्"ाा को पे"ा नही किया है तथा न ही उसकी नकल अप्रार्थी को दी गयी है जो जवाब पे"ा करने से पहले दिया जाना आव"यक है। पद संख्या 2 में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 723 होना लिखा है, जबकि अप्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 723 का खातेदार नही है। भूमि खसरा नम्बर 723 का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 किस आधार पर है, स्पष्ट नही किया है। प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 723 के खातेदार स्टट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाडा को पक्षकार नही बनाया है, इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। पद संख्या 3 में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 722, 723 के प"िचम दि"ाा की ओर एक कच्चा रास्ता होना बताया है, लेकिन प्रार्थी ने कच्चा रास्ता के खसरा नम्बर प्रार्थना पत्र में नही बताया है तथा न ह कच्चा रास्ता की तरमीम की नक्"ाा ट्रेस की नकल को पे"ा किया है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 722 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा है, जिसमें ओपन कुआ खुदा हुआ है तथा कुआ में प्रर्याप्त पानो है। गै.मु. बेरा का उपयोग सिचाई के लिए होता है। गै.मु. बेरा की भूमि का कभी बंटवाड़ा नही किया जा सकता है तथा बेरा सदैव के लिए खातेदारी का होता है। बेरा की भूमि पर रास्ता नही चल सकता है तथा न ही बेरा की भूमि के बंटवाड़े की तरमीम नक्"ा में की जा सकती है। अन्त में जवाब पे"ा कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:06 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्"ाा, नक्"ाा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं

गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पे”ा की, जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत में आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी अन्य के खेतों से होते हुए अपने खेत में जाता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है तथा वाछित रास्ते पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि का रकबा खसरा नम्बर 723 में से 03 बिस्वा 19 बिस्वां”ी बनता है तथा वांछित रास्ते की भूमि की चौडाई 20 फुट व लम्बाई मौका फर्द के अनुसार है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी रा”ि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है :–

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा बीघा में	डी.एल. सी. दर प्रति बीघा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	मिश्रीलाल पुत्र गोरधनराम	723	4.9268	20X172	0.03.19	12150	4800/–
	कुल योग						4800

उपरोक्त प्रपत्र में द”ाये अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 723 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्”ाा नकल म प्रस्तावित रास्ता द”ााया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्राथी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमी”नर रिपोर्ट दिनांक 10.08.2020 के साथ संलग्न नजरी नक्”ो में द”ााया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की रा”ि अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने को तैयार है। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 में का”त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 723 के मार्क ए.बी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 725 में पहुचता है मौका कमी”नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होतो है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 724, 725 व 726 में का”त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर का”त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आव”यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक बाला के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 07.08.2020 एवं उसके साथ पे”ा किया गया संलग्न नजरी नक्”ो में द”ाये अनुसार रास्ते को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्राथी अप्रार्थी संख्या 1 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी रा”ि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पे”ा करें। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रा”ि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की द”ाा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान रा”ि राजकोष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:06 IST
Reason: SelfAttested

जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्"ाा दिनांक 10.08.2020 को इस आदे"ा का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदे"ा माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्"ाा (मय तरमीम) के साथ पे"ा करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:06 IST
Reason: SelfAttested